रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042024-253812
CG-DL-E-22042024-253812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1675] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946
No. 1675] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

का.आ. 1761(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 304(अ), दिनांकित 19 जनवरी, 2024 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

रारा-334डी	उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खैर, जेवर को जोड़ने वाला और हरियाणा राज्य में पलवल के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र रारा

क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

रारा-334डी	उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खैर, जेवर को जोड़ने वाला और हरियाणा राज्य में पलवल के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में समग्र रारा

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 304(अ), दिनांकित 19 जनवरी, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/15/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

S.O. 1761(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 304(E), dated the 19th January, 2024, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-334D	The highway starting from its junction with NH-34 near Aligarh and connecting Khair, Jewar in the state of Uttar Pradesh and terminating at its junction with NH-44 near Palwal in the state of Haryana.	Entire NH in the States of Uttar Pradesh

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

NH-334D	The highway starting from its junction with NH-34 near Aligarh and connecting Khair, Jewar in the state of Uttar Pradesh and terminating at its junction with NH-44 near Palwal in the state of Haryana.	Entire NH in the States of Uttar Pradesh and Haryana

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 304(E), dated the 19th January, 2024.

[F. No. NH-14013/15/2021-P&M-Part(1)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

का.आ. 1762(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से किमी 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 65 {किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला – कैथल – नरवाना – हिसार – हरियाणा/ राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 71 [किमी 239.00 से किमी 450.800 (पंजाब/ हरियाणा सीमा – जींद – रोहतक - बावल खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, नई रारा सं.	हरियाणा राज्य सरकार"

	709 का विस्तार, सं. 73 [किमी 70.890 से किमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/ हरियाणा सीमा – यमुनानगर – साहा – बरवाला - पंचकूला) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 148बी [(किमी 4.90 से किमी 94.60 और किमी 126.00 से किमी 197.27 (राजस्थान /हरियाणा सीमा - भिवानी – हांसी - बरवाला खंड) तक खंड को छोड़कर] और नई रारा सं. 248ए [किमी 2.41 से किमी 24.536 (गुड़गांव-सोहना खंड) तक खंड को छोड़कर] के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं।	

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-1336(अ), तारीख 11 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/15/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

S.O. 1762(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4thAugust, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"8	So much of National Highways No. 21A ,No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border- Haryana/Himachal Border)], No.64, No.65 {excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Hayana/Rajasthan Border)}, No.71 [excluding from km.239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana border- Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), No. 71B, Extension of new No. NH 709, No.73 [excluding From km.70.890 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border- Yamunanagar-Saha-Barwala- Panchkula)], new NH No. 148B [excluding from Km 4.90 to Km. 94.60 and from Km.126.00 to Km. 197.27 (Rajasthan/Haryana border- Bhiwani-Hansi-Barwala section)] and new NH No. 248A [excluding from Km. 2.41 to Km 24.536 (Gurgaon-Sohna Section)]as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana"

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O.1336(E), dated the 11th March, 2024.

[F. No. NH-14013/15/2021-P&M-Part(1)]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA